



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 14 जुलाई, 2025 ई0

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-03

संख्या 498/XVIII(3)/2025/02(06)/2025

देहरादून, 14 जुलाई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, अधिसूचना संख्या 33/भू0अ0-एस0एस0बी0 पिथौरागढ़ (द्वालीसेरा), 2024-25 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के क्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 19 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील कनालीछीना के ग्राम द्वालीसेरा में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ़ की सीमा चौकी द्वालीसेरा की स्थापना, जो कि एक महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन है, हेतु ग्राम द्वालीसेरा, तहसील कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़ की 0.520 हे० भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

उपर्युक्त परियोजना हेतु निम्नलिखित भू-खंडों जिनका अर्जन किया जाना है, का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

राजस्व ग्राम- द्वालीसेरा परगना- तहसील- कनालीछीना, जिला- पिथौरागढ़

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे० में)	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	सं०	प्रकार	कुर्सी एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2339 2340 2341 2342 2343 2344 2347 2348 2349 2350म० 2351म० 2353म० 2354म० 2355म० 2356 2365 2366	श्रेणी 1(क)	निजी नाप भूमि	0.009 0.026 0.024 0.003 0.024 0.019 0.009 0.031 0.033 0.036 0.004 0.002 0.012 0.010 0.023 0.014 0.011	जगत सिंह पुत्र विशन सिंह, दान सिंह पुत्र विशन सिंह, प्रेम सिंह पुत्र राम सिंह	राज्य सरकार की भूमि एवं गंधेरा	राज्य सरकार की भूमि	रोली एवं नाप भूमि	राज्य सरकार की भूमि एवं गंधेरा	खेत सं० 2344, 2348 में दान सिंह पुत्र विशन सिंह के आम के वृक्ष <			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2357	श्रेणी	निजी	0.011	होशियार सिंह	राज्य	राज्य	रौली	राज्य	—	—	—	—
	2358	1(क)	नाप	0.009	पुत्र ठग सिंह,	सरकार	सरकार	एवं	सरकार				
	2359		भूमि	0.016	अधिशाली	की भूमि	की भूमि	नाप	की भूमि				
	2360			0.004	अभियन्ता, लोक	एवं गधेरा		भूमि	एवं				
	2361			0.013	निर्माण विभाग				गधेरा				
	2362			0.018	अस्कोट,								
	2363			0.009	पदम सिंह पुत्र								
	2364			0.015	ठग सिंह,								
	2367			0.005	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र								
	2368			0.023	कल्याण सिंह,								
	2369			0.016	गोमती देवी पत्नी								
	2370			0.016	कल्याण सिंह,								
	2371			0.010	देव सिंह पुत्र								
	2372			0.015	चतुर सिंह,								
	2373			0.009	लाल सिंह पुत्र								
	2374			0.009	चतुर सिंह,								
	2375			0.005	शेर सिंह पुत्र								
	2376			0.003	चन्द्र सिंह,								
	2379			0.010	अधिशाली								
	2380			0.009	अभियन्ता लोक								
	2381			0.008	निर्माण विभाग								
	2382			0.006	अस्कोट,								
	2383			0.008	विक्रम सिंह पुत्र								
	2389			0.001	गोपाल सिंह								
	2390			0.008									
	2391			0.004									
	योग			0.520									

राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांचोपरान्त की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्बों की संख्या शून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी— हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में योजना से सम्बन्धित भू-अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है।

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 498/XVIII(3)/2025-02(06)/2025, dated July 14, 2025 for general information:

No. 498/XVIII(3)/2025-02(06)/2025

Dated Dehradun, July 14, 2025

NOTIFICATION

Under sub-section (1) and sub section (2) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no 30 of 2013), in continuation of the Notification No. 33 / भू0अ0-एस0एस0बी0 पिथौरागढ़(द्वालीसेरा), 2024-25 दिनांक 03 अप्रैल, 2025, the Governor is pleased to declare that the State Government is satisfied that Total 0.520 hectares land acquisition is required in the village Dwalisera, Tehsil Kanalichina, District Pithoragarh for Establishment of 55th Corps Sashastra Seema Bal, Border Post Dwalisera, which is an important public purpose.

Revenue Village- Village Dwalisera, Tehsil- Kanalichina, District- Pithoragarh

[illegible]

The Governor is satisfied that this declaration is made after hearing of interested persons with the due investigation as provided in section-15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no 30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is nil.

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

Note- A Plan of the project land records may be inspected by the interested persons in the office of the Collector, Pithoragarh in any working Day.

By Order,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary, Revenue.